

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी./2013/डी-2154

दिनांक:- 03/10/2013

कार्यवाही विवरण

विषय :- भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 147वीं बैठक दिनांक 25-26.09.2013 को प्रातः 12.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	निर्णय
1	147.1	भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 145वीं बैठक दिनांक 11.09.2013 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति की समीक्षा अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 146वीं बैठक दिनांक 24.09.2013 को सम्पन्न हुई, जिसका कार्यवाही विवरण अभी जारी नहीं किया गया है।	बी.पी.सी. (बिल्डिंग प्लान) की 145वीं बैठक दिनांक 11.09.2013 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति पर संतोष व्यक्त किया गया। बी.पी.सी. (बिल्डिंग प्लान) की 146वीं बैठक दिनांक 18.09.2013 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति की समीक्षा आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।
2.	147.2	भूखण्ड संख्या सी-1, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि आवेदित भूखण्ड उपविभाजित भूखण्ड होने के कारण आवेदक से उपविभाजन/पुर्नगठन का प्रस्ताव प्राप्त किया जावे। तदोपरान्त प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
3.	147.3	ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड, मनोहरपुरा, जगतपुरा, जयपुर के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:- 1. स्टिल्ट फ्लोर, बेसमेन्ट व खुले क्षेत्र पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे।

↓

(Handwritten Signature)

			<p>3. भवन की ऊँचाई स्टिल्ट छोड़कर 30 मीटर से अधिक व अग्र सड़क 30 मीटर होने के कारण मानक 1.33 एफ.ए. आर. से अधिक एफ.ए.आर. 2.25 एफ.ए.आर. 25 प्रतिशत की दर से 300/- प्रति वर्ग फुट, 2.25 से 2.75 एफ.ए. आर. तक 30 प्रतिशत की दर से 360/- प्रति वर्ग फुट तथा 2.75 से 3.25 एफ.ए.आर. तक 35 प्रतिशत की दर से 420/- प्रति वर्ग फुट व अधिक आच्छादन 0.48 प्रतिशत की भवन विनियमानुसार बेटरमेन्ट लेवी ली जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
4.	147.4	<p>खसरा नम्बर 166/402, 167, ग्राम-झालाणा चौड़, खसरा नम्बर 120, 127, ग्राम-दुर्गापुरा, टौंक रोड़, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदक के प्रस्तावानुसार एफ.ए.आर मूल भूखण्ड के क्षेत्रफल 2365.00 व.मी. के आधार पर अधिकतम अनुज्ञेय एफ.ए.आर. 3.25 के अतिरिक्त सड़क हेतु समर्पित भू-पट्टी के क्षेत्रफल 844 व.मी. बराबर अर्थात् $2365.00 \times 3.25 + 844 = 7686.25 + 844 = 8530.25$ व.मी. अनुज्ञेय मानते हुए 8401.90 व.मी. एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया गया है। मानक एफ.ए.आर. से अधिकतम एफ.ए. आर. पर नियमानुसार बेटरमेन्ट लेवी ली जावे। 2. स्टिल्ट प्लार/बेसमेन्ट/खुले में प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 3. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है, अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद् का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 4. राज्य सरकार के आदेश 2 अगस्त 2013 के अनुसार 1000 व.मी. व इससे अधिक एवं 2500 व.ग. मीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों में प्रस्तावित भवनों की

		<p>ऊँचाई 30 मीटर से अधिक एवं 40 मीटर तक प्रस्तावित किये जाने पर न्यूनतम पार्श्व व पृष्ठ सेटबेक 9 मीटर किया जाना अनिवार्य होगा। शेष प्रवधान यथावत रहेंगे।</p> <p>ऐसे आवेदक जिन्होंने भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु यह आदेश जारी होने से पूर्व भवन विनियमों के प्रावधानानुसार मय जांच फीस जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार अनुज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है, उनमें वर्तमान नियमानुसार पार्श्व व पृष्ठ सेटबेक न्यूनतम 6 मीटर अनुज्ञये होंगे। चूकिं आवेदक द्वारा 2 अगस्त 2013 के पहलें दिनांक 31.07.2013 को जयपुर विकास प्राधिकरण के नागरिक सेवा केन्द्र में भवन अनुमोदन के लिये आवेदन कर दिया गया था। अतः राज्य सरकार के आदेश दिनांक 02.08.2013 अनुसार पार्श्व एवं पृष्ठ सेटबेक 6 मीटर पर 39.6 मीटर ऊँचाई अनुज्ञेय की जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
5.	147.5	<p>पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 21 से 23, 37 व 38, योजना स्कीम नम्बर 16बी, करौली बाग, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर के प्रस्तावित होटल के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p> <p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर व बेसमेन्ट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग हेतु उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. भूखण्ड में मौके पर 12' X 12' वर्ग फीट में पुराना कमरा पुराना कमरा निर्मित है, जिसको हटाने के सम्बन्ध में आवेदक से अण्डरटेकिंग ली जावे। 3. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.20 तथा अधिकतम बेटरमेन्ट लेवी सहित 3.0 अनुज्ञेय है। आवेदक द्वारा 2.72 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया है। अतः मानक एफ.ए.आर. 1.20 से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी ली जावे। 4. आवेदक द्वारा लोअर बेसमेन्ट में मैकेनिकल पार्किंग प्रस्तावित की है, उक्त भूखण्ड व्यावसायिक भूखण्ड है।

			<p>अतः मैकेनिकल पार्किंग अनुज्ञेय की जावे एवं प्रस्तावित मैकेनिकल पार्किंग हेतु आवेदक से बैंक गारन्टी ली जावे। वर्तमान में जविप्रा की कार्यकारी समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार बैंक गारन्टी नियमानुसार अनुज्ञेय की जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
6.	147.6	<p>पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 15, 16 व 19, स्कीम नम्बर 9-सी, भृगु नगर में प्रस्तावित व्यावसायिक परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेन्ट/खुले में प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अप्ण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रश्नगत भूखण्ड तीन छोटे भूखण्डों का पुनर्गठित भूखण्ड है। जविप्रा जोन से तीनों भूखण्डों का इकजाई एक ही पट्टा विलेख व साईट प्लान जारी है। साईट प्लान में मानक एफ.ए.आर. 1.33 अंकित है। भवन विनियम-2010 के नियम संख्या 8.10 के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार छोटे भूखण्डों के पुनर्गठन के प्रकरणों में देय एफ.ए.आर. मूल भूखण्डों के अनुसार रखे जाने का प्रावधान है। तदनुसार मानक एफ.ए.आर. 1.2 रखते हुए अतिरिक्त एफ.ए.आर. के लिए बेटरमेन्ट लेवी ली जावे। 3. प्रस्तावित भवन में प्रावधानुसार 36.12 ई.सी.यू. पार्किंग आवश्यक है। जिसमे से 6 मैकेनिकल पार्किंग बेसमेन्ट में प्रस्तावित की गई है। आवेदक द्वारा बेसमेन्ट में प्रस्तावित मैकेनिकल पार्किंग अनुज्ञेय की जावे एवं प्रस्तावित मैकेनिकल पार्किंग हेतु आवेदक से बैंक गारन्टी ली जावे। वर्तमान में जविप्रा की कार्यकारी समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार बैंक गारन्टी नियमानुसार अनुज्ञेय होगी। 4. 160 फीट सड़क पर लगभग 4 फीट, पीछे 30 फीट सड़क पर 2'-6" व साइड 30 फीट सड़क पर 0'-4" कब्जा है, जिसे हटवाया जाकर सड़क मार्गाधिकार की भूमि का

			<p>कब्जा उपायुक्त जोन को सम्मलाया जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
7.	147.7	<p>पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 8 व 21, मरूधर विहार, खातीपुरा, जयपुर के निर्मित भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि पूर्व में बीपीसी (बीपी) की 134वीं बैठक दिनांक 23.05.2013 में लिये गये निर्णयानुसार मौके पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। तदोपरान्त प्रकरण को पुनः बीपीसी के समक्ष रखा जावे।</p>
8.	147.8	<p>जविप्रा की नीलामी द्वारा निष्पादित व्यावसायिक भूखण्ड संख्या सी-1, बुद्धसिंहपुरा, जयपुर के प्रस्तावित व्यावसायिक सह आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड को जयपुर विकास प्राधिकरण के स्तर से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ नीलामी से क्रय किया गया था। आवेदक द्वारा वर्तमान में उक्त भूखण्ड पर आवासीय प्रयोजनार्थ गुप हाउसिंग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार से जारी आदेश दिनांक 08.07.2011 के बिन्दु संख्या 10 अनुसार व्यावसायिक भूखण्ड पर आवासीय प्रयोजन अनुज्ञेय किया जा सकेगा एवं एफ.ए.आर. आवासीय उपयोग हेतु निर्धारित एफ.ए.आर. की सीमा में ही अनुज्ञेय किया जा सकेगा। नीलामी के समय निर्धारित पैरामीटर्स में एफ.ए.आर. 2.0 अनुज्ञेय था। आवेदक द्वारा वर्तमान में भवन विनियम के प्रावधानानुसार अतिरिक्त एफ.ए.आर. का उपयोग करते हुए 3.75 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया गया है। अतः आवेदक के प्रस्तावित अतिरिक्त एफ.ए.आर. क्षेत्र पर वर्तमान प्रचलित अफोडेबल हाउसिंग पॉलिसी अनुसार EWS/LIG का प्रावधान करवाया जाना है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में राज्य सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्त किये जावे। 2. आवेदक द्वारा 18 व 30 मीटर सड़क पर शून्य सेटबैक रखते हुए बेसमेन्ट जाने हेतु रेम्प का प्रस्ताव दिया गया है, जिससे बेसमेन्ट में पार्किंग को बढ़ाया जा सके। अतः इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्त किये जावे कि 18 मीटर व 30 मीटर सड़क पर शून्य सेटबैक पर रेम्प अनुज्ञेय किया जावे अथवा नहीं ?

			<p>3. बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अप्ण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</p> <p>4. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे।</p> <p>5. प्रश्नगत प्रकरण में सकल निर्मित क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर से अधिक प्रस्तावित है, अतः पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे।</p> <p>6. प्रश्नगत भूखण्ड में 36'-0" X 29'-0" वर्ग फीट क्षेत्रफल में अस्थाई साईट ऑफिस निर्मित है, जिसको हटाने के सम्बन्ध में आवेदक से अप्ण्डरटेकिंग ली जावे।</p> <p>7. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 40 मीटर से अधिक है। अतः संशोधित भवन विनियम-2012 के अनुसार राज्य सरकार से स्वीकृति ली जावे।</p> <p>8. आवेदक द्वारा 53.60 मीटर ऊँचाई का प्रस्ताव दिया गया है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम, जयपुर से प्राप्त पत्र में किये गये उल्लेख के आधार पर वर्तमान में 44 मीटर से अधिक ऊँचाई के अग्निशमन संसाधन उपलब्ध नहीं है तथा 60 मीटर ऊँचाई के अग्निशमन संसाधन लगभग 18 माह (डेढ़ वर्ष) में उपलब्ध हो जावेंगे। प्रस्तावित भूखण्ड पर 53.60 मीटर ऊँचाई के भवन अनुज्ञा दिये जाने का सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन किया जाता है, किन्तु वर्तमान परिपेक्ष्य मे अग्निशमन संसाधन 44 मीटर तक के उपलब्ध होने के कारण 44.0 मीटर ऊँचाई के भवन मानचित्र स्वीकृत किये जावे। शेष 53.60 मीटर तक ऊँचाई के भवन मानचित्र अग्निशमन संसाधन उपलब्ध होने के पश्चात् ही जारी किये जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
9.	147.9	भूखण्ड संख्या-7, योजना ग्रीन त्रिवेणी, ग्राम-नींदड़, तहसील-आमेर में प्रस्तावित	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये

		आवासीय परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	गये:- 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेन्ट/खुले में प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अप्ण्डरेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद् का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
10.	147.10	खसरा नम्बर 128, ग्राम-रामचन्द्रपुरा, तहसील-सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:- 1. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, लाईसेन्सिंग एवं लिगल सेल जयपुर, एक्सपोलिशिव विभाग फरीदाबाद से प्राप्त अनापत्ति की शर्तों की पालना आवेदक द्वारा की जानी होगी। उक्त शर्त को मानचित्र में अंकित किया जावे। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार निम्न अतिरिक्त एजेण्डा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।			
11.	147.11	अफोडेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के अन्तर्गत श्री पारस कुमार जैन, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सिद्धा इन्फ्रा प्रोजेक्टस प्रा.लि. को टी.डी.आर. सर्टिफिकेट जारी किये जाने के संबंध में।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि विकासकर्ता द्वारा अपने कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 24800 वर्ग मीटर के 52 प्रतिशत भू-भाग क्षेत्रफल 12896 वर्ग मीटर पर 1.05 एफ.ए.आर. का उपयोग करते हुए 13605.12 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्रफल का उपयोग किया गया है। अफोडेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के अनुसार निर्मित क्षेत्रफल 13605.12 वर्ग मीटर का दुगुना क्षेत्र 27210.24 वर्ग मीटर एफ.ए.आर. के रूप में अनुज्ञेय किया जावे। आवेदक के शेष 48 प्रतिशत भूखण्ड क्षेत्रफल 11904 वर्ग मीटर पर भवन विनियम के प्रावधानानुसार अनुज्ञेय एफ.ए.आर. 1.8 (21427.20 व.मी.) अनुज्ञेय है। अतः इस 48 प्रतिशत भू-भाग पर 21427.20 + 13605.12 (52 प्रतिशत में से बचा हुआ क्षेत्रफल) कुल 35032.32 वर्ग मीटर क्षेत्रफल अनुज्ञेय

			किया जा सकेगा। उपरोक्त निर्णय की पुष्टि हेतु प्रकरण राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे।
12.	147.12	अफोडेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के अन्तर्गत श्री एस.एन. माहेश्वरी अधिकृत प्रतिनिधी फॉर सिनटेक्स इण्डस्ट्रीज लि. को टी.डी.आर. सर्टिफिकेट जारी किये जाने के संबंध में।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि विकासकर्ता द्वारा अपने कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 22667 वर्ग मीटर के 52 प्रतिशत भू-भाग क्षेत्रफल 11786.84 वर्ग मीटर पर 1.28 एफ.ए.आर. का उपयोग करते हुए 15184.28 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्रफल का उपयोग किया गया है। अफोडेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के अनुसार निर्मित क्षेत्रफल 15184.28 वर्ग मीटर का दुगुना क्षेत्र 30368.56 वर्ग मीटर एफ.ए.आर. के रूप में अनुज्ञेय किया जावे।</p> <p>आवेदक के शेष 48 प्रतिशत भूखण्ड क्षेत्रफल 10880.16 वर्ग मीटर पर भवन विनियम के प्रावधानानुसार अनुज्ञेय एफ.ए.आर. 1.8 (19584.288 व.मी.) अनुज्ञेय है। अतः इस 48 प्रतिशत भू-भाग पर 19584.288 + 15184.28 (52 प्रतिशत में से बचा हुआ क्षेत्रफल) कुल 34768.57 वर्ग मीटर क्षेत्रफल अनुज्ञेय किया जा सकेगा। उपरोक्त निर्णय की पुष्टि हेतु प्रकरण राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे।</p>
13.	147.13	अफोडेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के अन्तर्गत श्री संजीव सांगी, निदेशक मैसर्स शिवशक्ति रियल होम प्रा.लि. को टी.डी.आर. सर्टिफिकेट जारी किये जाने के संबंध में।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि विकासकर्ता द्वारा अपने कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 32814.08 वर्ग मीटर के 52 प्रतिशत भू-भाग क्षेत्रफल 17063.32 वर्ग मीटर पर 1.49 एफ.ए.आर. का उपयोग करते हुए 25578.80 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्रफल का उपयोग किया गया है। अफोडेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के अनुसार निर्मित क्षेत्रफल 25578.80 वर्ग मीटर का दुगुना क्षेत्र 51157.60 वर्ग मीटर एफ.ए.आर. के रूप में अनुज्ञेय किया जावे।</p> <p>आवेदक के शेष 48 प्रतिशत भूखण्ड क्षेत्रफल 15750.75 वर्ग मीटर पर भवन विनियम के प्रावधानानुसार अनुज्ञेय एफ.ए.आर. 1.8 (28351.35 व.मी.) अनुज्ञेय है। अतः इस 48 प्रतिशत भू-भाग पर 28351.35 + 25578.80 (52 प्रतिशत में से बचा हुआ क्षेत्रफल) कुल 53930.15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल अनुज्ञेय किया जा सकेगा। उपरोक्त निर्णय की पुष्टि हेतु प्रकरण राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे।</p>

14.	147.14	अफोडेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के अन्तर्गत श्री मनोज अग्रवाल, निदेशक, फॉर मैसर्स भैरव टाउनशिप प्रा.लि. को टी.डी.आर. सर्टिफिकेट जारी किये जाने के संबंध में।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि विकासकर्ता द्वारा अपने कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 29709.70 वर्ग मीटर के 52 प्रतिशत भू-भाग क्षेत्रफल 15449.05 वर्ग मीटर पर 1.331 एफ.ए.आर. का उपयोग करते हुए 20574.72 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्रफल का उपयोग किया गया है। अफोडेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के अनुसार निर्मित क्षेत्रफल 20574.72 वर्ग मीटर का दुगुना क्षेत्र 41149.44 वर्ग मीटर एफ.ए.आर. के रूप में अनुज्ञेय किया जावे।</p> <p>आवेदक के शेष 48 प्रतिशत भूखण्ड क्षेत्रफल 14260.65 वर्ग मीटर पर भवन विनियम के प्रावधानानुसार अनुज्ञेय एफ.ए.आर. 1.8 (25669.17 व.मी.) अनुज्ञेय है। अतः इस 48 प्रतिशत भू-भाग पर 25669.17 + 20574.72 (52 प्रतिशत में से बचा हुआ क्षेत्रफल) कुल 46243.89 वर्ग मीटर क्षेत्रफल अनुज्ञेय किया जा सकेगा। उपरोक्त निर्णय की पुष्टि हेतु प्रकरण राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे।</p>
15.	147.15	खसरा नम्बर 123, 124, 133/669, ग्राम-नृसिंहपुरा उर्फ रिक्शा, तहसील-सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदक को लीजडीड व के साथ साईट प्लान दिनांक 17.02.2011 को जारी किया गया था, तत्समय प्रचलित भवन विनियम 2010 में मानक एफ.ए.आर. 1.2 व अधिकतम 2.0 था, लेकिन संशोधित विनियम 2011 जो दिनांक 20.05.2011 को जारी किया गया, में मानक एफ.ए.आर. 1.33 व अधिकतम एफ.ए.आर. 2.25 प्रावधानित है। वर्तमान विनियम 2011 के प्रावधानानुसार ही एफ.ए.आर. के अनुसार गणना की गई है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया। 2. स्टिल्ट फ्लोर व बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 3. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है, अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे।

			<p>4. प्रश्नगत प्रकरण में सकल निर्मित क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर से अधिक प्रस्तावित है, अतः पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे।</p> <p>5. प्रश्नगत प्रकरण में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 02.05.2012 के अनुसार EWS/LIG वर्ग हेतु 22158.564 वर्ग मीटर प्रस्तावित एफ.ए.आर. क्षेत्रफल के 5 प्रतिशत के बराबर अर्थात् 1107.92 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्रफल आरक्षित किया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा दिनांक 06.06.2013 को प्रेषित पत्र के अनुसार EWS/LIG वर्ग हेतु आवश्यक ईकाईयों का प्रावधान भूखण्ड संख्या 82, भास्कर एन्क्लेव एफ-01, ग्राम-काठावाला, तहसील-चाकसू, जयपुर पर प्रस्तावित किया गया। आवेदक की प्रस्तावित ग्राम-नृसिंहपुरा उर्फ रिक्शा की एवं EWS/LIG वर्ग हेतु प्रस्तावित भूखण्ड संख्या 82, भास्कर एन्क्लेव एफ-01, ग्राम-काठावाला, तहसील-चाकसू, जयपुर की आरक्षित दर व डी.एल.सी. दर जो भी अधिक हो, के अनुपात में EWS/LIG हेतु क्षेत्र आरक्षित करवाया जावे एवं उपायुक्त जोन से दोनों क्षेत्र की आरक्षित दर व डी.एल.सी. दर की सूचना प्राप्त की जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
16.	147.16	भूखण्ड संख्या 3 व 4, बृजलालपुरा, एवरेस्ट विहार स्कीम नम्बर 08, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय भवन के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <p>1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेन्ट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
17.	147.17	खसरा नम्बर 695, 696, 702, 703, 704, 705 ग्राम भाटेड वाटिका तहसील सांगानेर जयपुर में अफोर्डेबल हाउसिंग योजना में EWS/LIG/MIG-A के भवन मानचित्र	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <p>1. आवेदक की लीजडीड दिनांक 16.09.2013 को जारी की</p>

		अनुमोदन बाबत।	<p>गई। वर्तमान प्रचलित भवन विनियमानुसार एफ.ए.आर. 1.33 अनुज्ञेय है। अफोडेबल हाउसिंग पॉलिसी के अनुसार कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 48484.52 वर्ग मीटर के 52 प्रतिशत भू-भाग पर अनुज्ञेय एफ.ए.आर. का दुगुना अर्थात् 2.66 अनुज्ञेय किया जावे।</p> <p>2. कुल भूखण्ड के 48 प्रतिशत भू-भाग पर अफोडेबल हाउसिंग पॉलिसी के प्रावधानानुसार 1.33 एफ.ए.आर. अनुज्ञेय किया जावे एवं 52 प्रतिशत भू-भाग के शेष एफ.ए.आर. का उपयोग तभी देय होगा जब 52 प्रतिशत क्षेत्र पर निर्मित EWS/LIG इकाईयों को सम्बन्धित निकाय को Handover करेगा।</p> <p>3. आवेदक द्वारा द्विपक्षीय एग्रीमेन्ट प्रस्तुत किया गया है। जविप्रा के स्तर से एग्रीमेन्ट नहीं किया गया है, जिसे मान्य किया जा सकता है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे।</p> <p>उपरोक्त समस्त तथ्यों सहित प्रकरण राज्य सरकार को दिशा-निर्देश प्राप्त किये जाने हेतु प्रेषित किया जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
18.	147.18	<p>खसरा संख्या 665/243, 669/243, ग्राम-सुखिया, तहसील-सांगानेर, मुहाना मण्डी के पास, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <p>1. स्टिल्ट फ्लोर व बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</p> <p>2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे।</p> <p>3. आवेदक द्वारा 36.0 प्रतिशत भूतल आच्छादन प्रस्तावित किया गया है अतः 35 प्रतिशत आच्छादन से अतिरिक्त 1.00 प्रतिशत आच्छादन पर नियमानुसार बेटरमेन्ट लेवी ली जावे।</p>


			उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
19.	147.19	पुर्नगठित भूखण्ड संख्या ए-27 से ए-38, रामनगरिया साउथ (निजी खातेदार), जगतपुरा, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. भवन विनियम 2010 संशोधित दिनांक 07.12.2012 के बिन्दु संख्या 19.7.20 अनुसार पुर्नगठित भूखण्ड होने के कारण प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.20 तथा अधिकतम बेटरमेन्ट लेवी सहित 3.75 अनुज्ञेय है। आवेदक द्वारा 2.839 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया है। अतः मानक एफ.ए.आर. 1.20 से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी ली जावे। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
20.	147.20	खसरा नम्बर 128/2/8, 136/3 व 135/2, ग्राम-सुदर्शनपुरा, लालकोठी, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर व दोनों बेसमेन्ट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी स्थल मानचित्र में तत्समय लागू भवन विनियम 2010 के अनुसार मानक एफ.ए.आर. 1.2 तथा अधिकतम एफ.ए.आर. 2.0 अंकित किया गया था, जबकि संशोधित विनियम 2011 के अनुसार मानक एफ.ए.आर. 1.33 तथा अधिकतम 2.25 अनुज्ञेय है। अतः संशोधित भवन विनियम 2011 के प्रावधानानुसार मानक एफ.ए.आर. मानकर अतिरिक्त एफ.ए.आर. पर नियमानुसार बेटरमेन्ट लेवी

			<p>ली जावे।</p> <p>3. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
21.	147.21	<p>पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 12, 13, 175 से 179, निर्माण नगर, एबी, डी.सी.एम., अजमेर रोड़, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लैटस के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदक के पूर्व स्वीकृत/जारी मानचित्र में केवल स्टिल्ट व ऑपन मैकेनिकल पार्किंग स्वीकृत किया गया है। अतः वर्तमान प्रस्तावित मानचित्र में भी केवल स्टिल्ट पर मैकेनिकल पार्किंग अनुज्ञेय की जावे तथा प्रस्तावित पार्किंग के प्रावधानानुसार एफ.ए.आर. स्वीकृत किया जावे। प्रस्तावित मैकेनिकल पार्किंग हेतु आवेदक से बैंक गारन्टी ली जावे। वर्तमान में जविप्रा की कार्यकारी समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार बैंक गारन्टी नियमानुसार अनुज्ञेय की जावे। 2. स्टिल्ट फ्लोर व बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 3. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है। अतः संशोधित अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 4. प्रस्तावित भवन बीआरटीएस (अजमेर रोड़) कॉरिडोर पर स्थित है। अतः असीमित एफ.ए.आर. बैटरमेन्ट शुल्क पर दिया जाना प्रस्तावित है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया। 5. भूखण्ड में मौके पर अग्र सेटबैक में अस्थाई साईट ऑफिस निर्मित है, जिसे हटाने के सम्बन्ध में आवेदक से

			<p>अण्डरटेकिंग ली जावे।</p> <p>5. पूर्व में प्रकरण को दिनांक 11.07.2012 को भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 121वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया था जिसके अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तावित 1.2 मीटर के प्रोजेक्शन तथा 30 मीटर की ऊँचाई का भवन मानचित्र समिति (बीपी) द्वारा अनुमोदन किया गया था। उसके उपरान्त आवेदक द्वारा संशोधित भवन विनियम 2012 के अनुसार 1.5 मीटर का प्रोजेक्शन करते हुए तथा 6 मीटर के सेटबैक पर 40 मीटर की ऊँचाई प्रस्तावित करते हुए संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किये थे, जिसे भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 131वीं बैठक दिनांक 05.03.2013 में पुनः प्रस्तुत किया गया था, जिसके निर्णयानुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्रों का पुनः निरीक्षण किया जाकर प्रकरण को अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया था। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार से जारी आदेश क्रमांक प.10(7)नविवि/3/2009 पार्ट-II दिनांक 02.08.2013 के अनुसार एसे आवेदक जिन्होंने भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु यह आदेश जारी होने से पूर्व भवन विनियमों के प्रावधानानुसार मय जाँच फीस जविप्रा द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार अनुज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है उनमें वर्तमान नियमानुसार पार्श्व व पृष्ठ सेटबैक न्यूनतम 6 मीटर ही अनुज्ञेय होंगे। लेकिन उक्त जारी आदेश के तहत यदि भवन में किसी तरफ का सेटबैक 6.0 मीटर से अधिक हो तो उस तरफ बालकनी क्षेत्र को अधिकतम 1.2 मीटर चौड़ाई में भवन के अन्दर/कमरों के अन्दर शामिल किया जा सकता है। अतः अधिकतम प्रोजेक्शन 1.2 मीटर अनुज्ञेय किया जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
--	--	--	---

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

14

 03/10/13

सदस्य सचिव

भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 147वीं बैठक दिनांक 25-26.09.2013 को दोपहर 12.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री अभय कुमार, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्री बिष्णु चरण मल्लिक, सचिव, जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 3. श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक आयोजना, जविप्रा जयपुर। | सदस्य |
| 4. श्री अनिल अग्रवाल अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 5. श्रीमती नलिनी कठोतिया, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि), जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 6. श्री नीरज तिवाड़ी, अति.मु.न.नि. बीपीसी, जविप्रा, जयपुर। | सदस्य सचिव |

विशेष आमंत्रित:-

7. श्रीमती साधना शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी, जविप्रा, जयपुर।
8. श्री खान मोहम्मद, उपायुक्त जोन-01, जविप्रा, जयपुर।
9. श्री लोकेश कुमार सहल, जोन-04, जविप्रा, जयपुर।
10. श्री हरीन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन-12, जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक जविप्रा अति.मु.न.नि./बीपीसी/2013/डी-2154

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति० आयुक्त (पूर्व)/प्रशासन/(एलपीसी)/(भूमि) एवं बीआरटीएस, जविप्रा, जयपुर।
5. मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन.....जविप्रा, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
दिनांक:- 03/10/2013

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति (बीपी)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।


क्रमांक:- जविप्रा/अति.मु.न.नि./बीपीसी/2013/डी-26/6

दिनांक:- 10/12/2013

शुद्धिपत्र

विषय :- भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 147वीं बैठक दिनांक 25.26-09.2013 को सम्पन्न हुई, के एजेण्डा संख्या 147.8 के विषय व कार्यवाही विवरण के विषय का शुद्धिपत्र।


उपरोक्त विषयान्तर्गत भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 147वीं बैठक दिनांक 25.26-09.2013 को सम्पन्न हुई, के एजेण्डा संख्या 147.8 के विषय व जारी कार्यवाही विवरण दिनांक 03.10.2013 के विषय में टंकन त्रुटिवश व्यावसायिक सह आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत टंकित हो गया था, जिसके स्थान पर व्यावसायिक भूखण्ड पर आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत पढ़ा जावे।

भवदीय

10/12/13
(नीरज तिवाड़ी)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति० आयुक्त (पूर्व)/प्रशासन/एलपीसी/भूमि एवं बीआरटीएस, जविप्रा, जयपुर।
5. मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन.....जविप्रा, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।


10/12/13
(नीरज तिवाड़ी)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।